



बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन
नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

**बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु
विज्ञापन**

बिहार कौशल विकास मिशन, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना, बिहार के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, नियोजन भवन, पंचम तल, ए ब्लॉक, आयकर गोलम्बर के नजदीक, बेली रोड, पटना, बिहार- 800001 के पते पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। पदों की विस्तृत विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन के वेबसाईट- biharskilldevelopmentmission.in एवं युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट <http://state.bihar.gov.in/yesd> से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन, दिनांक-09/05/2026 को अपराह्न 6:00 बजे तक बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यालय में निबंधित डाक या Speed Post के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। विलम्ब अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन के लिए बिहार कौशल विकास मिशन उत्तरदायी नहीं होगा, साथ ही इस पर विचार नहीं किया जायेगा।

M. Shank
09.05.26

मिशन निदेशक

बिहार कौशल विकास मिशन,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन, नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	अधिकतम आयु सीमा	वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशासी पदाधिकारी	01	राज्य सेवा से प्रतिनियुक्ति / संविदा (राज्य सेवा के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव / अपर जिला दंडाधिकारी स्तर या इससे ऊपर के पदाधिकारी)	कौशल उन्नयन के क्षेत्र में कार्य अनुभव को प्राथमिकता	60 वर्ष (सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामलों में 65 वर्ष)	पे बैंड-4 (37400-67000) +8700/- ग्रेड पे अथवा संविदा की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित निति के अनुरूप	बिहार सरकार से नियुक्त अथवा (राज्य सेवा से सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर / अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के पदाधिकारी)	सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामले में वैसे पदाधिकारी जिन्हें कौशल विकास कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेश के अनुरूप होगा। पूर्व में सेवानिवृत्त पदाधिकारी का प्रावधान नहीं था।
2.	कौशल विकास परामर्शी (नियोजन)	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी 0एम0	मानव संसाधन क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव	45 वर्ष	रू0 / 40000 / - प्रतिमाह (फिक्स) प्रति वर्ष 5% की वृद्धि	संविदा पर	
3.	कौशल विकास परामर्शी (योजना)	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर डिग्री	योजना संबंधित कार्य क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव	45 वर्ष	रू0 / 40000 / - प्रतिमाह (फिक्स) प्रति वर्ष 5% की वृद्धि	संविदा पर	

M. Shyam
ब.स.क.

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन।

संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं शर्तें:-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. उम्र सीमा पद क्रम-01 के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। पद क्रम-02 से 03 के लिए उम्र सीमा पहली अप्रैल 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष है। बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त नियमानुसार उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासी को दिया जायेगा।
3. आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय-समय पर निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।
4. अभ्यर्थी किसी न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं हों, जिसका शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. Short Listing की प्रक्रिया में सिर्फ उन आवेदकों के आवेदनों को सम्मिलित किया जायेगा, जो निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं और जिन्होंने आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न किया है।
6. अंतर्वीक्षा के उपरांत तैयार मेरिट लिस्ट क्रमांक-01 (एक) को योगदान के लिए बुलावा पत्र निर्गत किया जायेगा। उनके द्वारा पद पर योगदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को बुलावा पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रतीक्षासूची 1 (एक) वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. विज्ञापन में निर्धारित योग्यता न्यूनतम है, जिसके आधार पर कोई भी अभ्यर्थी चयन का दावा नहीं करेंगे।
8. चयनित अभ्यर्थी से आवश्यकतानुसार बिहार कौशल विकास मिशन/सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य संपादित कराया जा सकता है।
9. एकरारनामा- संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी का बिहार कौशल विकास मिशन के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
10. संविदा के आधार पर नियोजित उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि प्रथम चरण में एक वर्ष की होगी।
11. सेवा संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिहार कौशल विकास मिशन/युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा उनका सेवा विस्तार किया जा सकता है।
12. संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिये कोई अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
13. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे।
14. संविदा पर नियोजित कर्मी स्थायीकरण/नियमित करने का दावा नहीं करेंगे और ना ही इसके पात्र होंगे।
15. संविदा पर नियोजित कर्मियों को राज्य सरकार एवं बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना अनिवार्य होगा।

16. संविदा पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण बिहार कौशल विकास मिशन/युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना का होगा।
17. आवेदन पत्र में त्वरित संवाद हेतु आवेदक को अपना वर्तमान में कार्यरत सम्पर्क सूत्र, मोबाईल न० एवं ई-मेल पते को अंकित करना अनिवार्य होगा।
18. समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
19. बिहार कौशल विकास मिशन को बिना किसी कारण बताये, कभी भी चयन प्रक्रिया को बदलने, संशोधित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
20. चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी तरह की पैरवी/अनुचित दबाव दिये जाने के फलस्वरूप उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही उनके ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
21. वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि- 09.05.2026 को अपराह्न 06:00 बजे तक होगी। आवेदन रजिस्टर्ड डाक या Speed Post से भेजना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करना होगा। आवेदन, विहित प्रपत्र, प्रपत्र - 2 (शपथ पत्र) में टंकित हो और उसमें नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता तथा अनुभव प्रमाण-पत्र की छाया प्रति के साथ अद्यतन फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Mishra
9.4.26

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन,
नियोजन भवन, बेली रोड,
बिहार, पटना।

विहित प्रपत्र
सेवा निवृत्त आवेदकों के लिए
(पद क्रमांक 01 के लिए)



1. आवेदित पद का नाम:-.....
2. आवेदक का नाम:-
3. पिता/पति का नाम:-
4. जन्म तिथि:-
5. पत्राचार का पता:-

6. स्थायी पता:-
7. आधार संख्या:-
8. आधार संख्या के अनुसार जन्म तिथि:-.....
9. पैन नं०:-
10. पहचान चिन्ह (जो शरीर पर दृश्य हो) :-.....
11. शैक्षणिक योग्यता:-
12. तकनीकी योग्यता:-
13. अन्य योग्यता
(अगर कोई हो):-
14. अनुभव:-
15. कौशल प्रशिक्षण
से संबंधित अनुभव:-

16. कोटि:-
17. सेवा निवृत्ति की तिथि:-
18. कार्यालय का नाम,
जहाँ से सेवा निवृत्ति हुए है:-
19. मो० नं०:-
20. ई०मेल० आई०डी०:-


तिथि:-

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:-आवेदक द्वारा शैक्षणिक/तकनीकी/अनुभव/जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

2. सेवा निवृत्त आवेदक द्वारा पी.पी.ओ./वार्डकय सेवा निवृत्ति के उपरान्त प्रभार परित्याग प्रमाण-पत्र तथा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

विहित प्रपत्र
(पद क्रमांक 02 एवं 03 के लिए)



1. आवेदित पद का नाम:-.....
2. आवेदक का नाम:-
3. पिता/पति का नाम:-
4. जन्म तिथि:-
5. पत्राचार का पता:-

6. स्थायी पता:-
7. आधार संख्या:-
8. आधार संख्या के अनुसार जन्म तिथि:-.....
9. पैन नं०:-
10. पहचान चिन्ह (जो शरीर पर दृश्य हो) :-.....
11. शैक्षणिक योग्यता:-
12. तकनीकी योग्यता:-
13. अन्य योग्यता
(अगर कोई हो):-
14. अनुभव:-
15. कौशल प्रशिक्षण
से संबंधित अनुभव:-

16. कोटि:-
17. मो० नं०:-
18. ई०मेल० आई०डी०:-

तिथि:-

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:-आवेदक द्वारा शैक्षणिक/तकनीकी/अनुभव/जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

प्रपत्र-2
शपथ- पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती
पिता/पति श्री.....
स्थायी पता.....
.....
वर्तमान/पत्राचार पता.....
.....
मोबाईल नं०.....
ई-मेल

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- यदि मेरा चयन.....(पद का नाम)
के संविदागत पद पर होता है तो मैं नियोजन हेतु इच्छुक हूँ एवं नियोजन हेतु सहमति देता/देती हूँ।
- उक्त पद हेतु मैं भविष्य में किसी भी तरह का नियमितकरण का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
- मेरे द्वारा समर्पित उपरोक्त सभी वांछित सूचनाएँ यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र आदि सही एवं सत्य है और जाँच के दौरान जाली पाए जाने की स्थिति में भुगतेय राशि की वसूली विहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड एक्ट के अधीन एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान:

दिनांक:

शपथकर्ता का पूरा हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें